A052-20222023-003-1347330

संख्या-35/2022/540/बावन-1-2022-अधि0(बजट)/19

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 05 अगस्त, 2022**

विषय-वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अंतर्गत राजस्व लेखा मद 03-अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय अधिष्ठान के विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-1545/अ0सं0क0नि0-13/लेखा/बजट-प्रा0/ 2022-23, दिनांक 07.07.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विषयांकित मद में उपलब्ध अवशेष धनराशि निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के अधिष्ठान मद हेतु अनुदान संख्या-48 के

http://shasanadesh.up.gov.in

राजस्व लेखा शीर्षक- 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-001-निदेशक तथा प्रशासन-03-अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशि रू0 499.46 लाख से लेखानुदान अवधि के लिये जारी की गयी वित्तीय स्वीकृति को घटाने के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 332.98 लाख (रूपये तीन करोड़ बत्तीस लाख हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका विवरण निम्नवत है:-

लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-

001-निदेशन तथा प्रशासन-

03-अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय-

(रू0 लाख में)

क्र 0 सं0	मद का नाम	वर्ष 2022-23 में बजट प्राविधान	वर्ष 2022-23 के लेखानुदान से प्रथम 04 माह हेतु अवमुक्त धनराशि	अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित कुल अवशेष धनराशि (3-4)
1	2	3	4	5
1	01-वेतन	229.15	76.38	152.77
2	02-मजदूरी	0.90	0.30	0.60
3	03-मंहगाई भत्ता	84.79	28.26	56.53
4	04-यात्रा-व्यय	2.00	0.67	1.33
5	05-स्थानान्तरण यात्रा-व्यय	0.20	0.07	0.13
6	06-अन्य भत्ते	2.40	0.80	1.60
7	07-मानदेय	0.25	0.08	0.17
8	08-कार्यालय-व्यय	5.00	1.67	3.33
9	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3.25	1.08	2.17
10	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	8.00	2.67	5.33
11	13-टेलीफोन पर व्यय	2.00	0.67	1.33
12	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	10.00	3.33	6.67
13	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	4.00	1.33	2.67
14	18-प्रकाशन	3.00	1.00	2.00
15	42-अन्य व्यय	3.00	1.00	2.00

http://shasanadesh.up.gov.in

16	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00	0.33	0.67
17	45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00	0.33	0.67
18	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5.00	1.67	3.33
19	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	6.00	2.00	4.00
20	49-चिकित्सा व्यय	8.00	2.67	5.33
21	51-वर्दी व्यय	0.52	0.17	0.35
22	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	-	-	-
23	55-मकान किराया भत्ता	20.00	6.67	13.33
24	56-नगर प्रतिकर भत्ता	-	-	-
25	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	100.00	33.33	66.67
	योग	**499.46**	**166.49**	**332.97**

1- बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर है, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

2- वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा।

3- किसी भी दशा में उक्त धनराशि किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा। उक्त मदों पर होने वाला व्यय इस संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- धनराशि का आवंटन (एलॉटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है । जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो , उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

5- लेखानुदान अवधि के लिये जारी की गयी वित्तीय स्वीकृतियों की धनराशि को घटाने/समायोजित करने के उपरान्त धनराशि निर्गत की जायेगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय की सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के **कार्यालय-ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022** में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या-540(1)/बावन-1-2022- तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त(ई-4) अनुभाग /वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 (02 प्रतियों में)/नियोजन अनुभाग-3
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in